

पंजीयन शुल्क –

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.4(5)सह/1991/पार्ट जयपुर, दिनांक 03.05.2012 एवं 29.05.2017 के द्वारा उक्त अधिनियम में पंजीकृत होने वाली विभिन्न संस्थाओं हेतु निम्नानुसार पंजीयन शुल्क निर्धारित किया हुआ है –

(i)	गौ सेवा समितियों का पंजीयन शुल्क	100/-
(ii)	राजीव गांधी पेयजल मिशन के अन्तर्गत सेक्टर रिफार्म प्रोजेक्ट सोसायटी, जलधारा समितियों, भू-जल संरक्षण विभाग के अन्तर्गत वाटर शेड्स कार्यक्रम की क्षेत्रीय समितियों का पंजीयन शुल्क	500/-
(iii)	नेहरू युवा मण्डलों का पंजीकरण शुल्क	250/-
(iv)	राजीव गांधी यूथ क्लबों का पंजीयन शुल्क	250/-
(v)	राजकीय विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्ध समिति (SMC) और विद्यालय विकास एवं प्रबन्ध समिति (SMDC) का पंजीयन शुल्क	250/-
(vi)	अन्य समस्त संस्थायें	10,000/-